



आखर हिंदी पत्रिका; e-ISSN-2583-0597

खंड 6/अंक 1/मार्च 2026

Received: 13/03/2026; Revised: 16/03/2026; Accepted: 24/03/2026; Published: 28/03/2026

हिंदी तथा हिंदीतर कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ . रंजना पाटिल

प्राचार्य

अकमहादेवी महिला महाविद्यालय बीदर

डॉ . रंजना पाटिल, हिंदी तथा हिंदीतर कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन, आखर हिंदी पत्रिका, खंड 6/अंक1/मार्च 2026,(14 -17)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19486999>



This work is licensed under CC BY-NC 4.0

प्रस्तावना :-

साहित्य केवल मनुष्य संस्कृति जीवन की अभिव्यंजना ही नहीं उसकी अमूल्य निधि है मनुष्य का संस्कृति से सम्बन्ध समाज के अतीत वर्तमान तथा भविष्य की संभावनाओं का साकार रूप है। इस तरह समाज धर्म दर्शन इतिहास अदि विविध रूपों तथा जीवन के अनेक रूपों का चित्रण साहित्य के माध्यम से ही होती है। आज के युग में ज्वलंत समस्या है, वह है मानवाधिकार की वास्तविकता और संविधानिक अधिकार को लेकर बच्चियों का भविष्य अस्तित्व अस्तिमता अधिकार का तथा समाज के हर क्षेत्र में स्त्री का स्थान, हमारी परंपरा तथा युगीन व्यवस्था में महिला का भविष्य इन सरे सवाल एवं जवाबों का लेखा जोखा समाज का नग्न सत्य हिंदी तथा अंग्रेजी महिला कथा साहित्यकार के कथा तथा पत्रों के संघर्ष में खुलकर सामने अत है। हिंदी के कृष्णा सोबती, कुसुम अंसल मैत्रेयि पुष्पा, सूर्यबाला, नासिर शर्मा, गीतांजलि श्री चित्रा मुदगल, कृष्णा अग्निहोत्री अनामिका मेहरुन्निसा परवेज क्षमा शर्मा तथा ममता कालिया और अंग्रेजी – अनीता देसाई, शशि देशपांडे, कमला मार्खणडेय, मंजूकपुर अरुंधती राँय गीता हरिहरन, नमिता गोखले बहती मुखर्जी, जयनिंबकर तथा अनीता नायर जैसे लेखिकाओं ने अपनी कलम से भारतीय बच्चियों की जमीनी सचाई को कथाओं के माध्यम से रु-ब-रु कराया है। इन महिला कथाकारों ने वर्तमान सन्दर्भ से भारतीय परिवार व समाज में स्त्री की गरिमा एवं मानवीय मूल्यों से केवल परिचित ही नहीं करवाया बल्कि बच्चियों

को मनुष्य परिवार की इकाई बनाने के लिए किस तरह इस स्थिति से जूझना है और वह इस समाज से क्या चाहती है इसका बोध भी करवाया है।

विषय विवरण :-

अंतिम दशक का हिंदी तथा अंग्रेजी महिला कथा लेखन में समाज में व्याप्त विषमताओं के चित्रण के साथ साथ भारतीय बच्चियों को मानव समाज में व्यक्ति रूपक में एक मनुष्य के रूप में परिभाषित करने बच्चियों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन के पर्याप्त अभिव्यक्ति मिली है ॥ हिंदी तथा अंग्रेजी कथा लेखन में भारतीय सामाजिक परिपेक्ष में भी बच्चियों की भूमिका, बच्चियों के जीवन के मूल्यों को तलाशने का एक सशक्त प्रयास है। शहरी ग्रामीण आदिवासी सभी क्षेत्रों में भारतीय बच्चियों के मानवाधिकार के लिए जद्दोजहद नैतिकता के प्रति मुक्त सोच भारतीय बच्चियों को भारतीय परिवार व समाज में नई व्याख्या की है। नैतिकता के प्रति नई सोच मानव परिवार की गरिमा बनाए रखने के लिए लड़का-लड़की को सामान दृष्टि से देखने को बाध्य किया है।

भारतीय समाज में लिंग भेद के कारण बच्चियों को परिवार व समाज में दुसरे दर्जे का समझा जाता रहा है। यही कारण है की भारत के लगभग सभी प्रान्तों में “बेटी “ लड़की का जन्म अशुभ समझा जाता है। इस स्थिति का खुला बयान अपने समस्त कथा साहित्य में अभय लेखिकाओं ने बड़े यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय परिवार एवं समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करते हुए भारतीय संविधान द्वारा बच्चियों के मौलिक अधिकार मानवाधिकार के आकड़ों को प्रस्तुत करते हुए बच्चियों के परिवार में सुरक्षा पालन पोषण एवं शिक्षा अधिकार को लेकर कई प्रश्नों के जवाब माँगते है। भारत सरकार द्वारा और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संस्थाओ द्वारा बच्चियों को संविधान द्वारा दी जानेवाले अधिकारों और उनके अनुसार बच्चियों के कल्याण और विकास के अवसर प्रदान करने की दिशा में जो प्रयत्न किया जा रहे है। जो भारतीय बच्चियों तक बिना किसी लिंग भेद, जाती, धर्म वर्ग या समुदाय में भेद के बिना दी जा रही है।

हिंदी तथा अंग्रेजी कथा लेखिकाओ ने कथाओं के माध्यम से शोषण की स्थिति को पात्रों के माध्यम से जीवंत चित्रण प्रस्तुत करते हुए मानवाधिकार की माँग करते हैं। समाज में बच्चियों के प्रतिभेद भाव को समाप्त करना और उसकी स्थिति में सुधार करना ताकि वह अपनी क्षमता के पूर्ण विकास और उत्तर जीविता के समान अवसर प्राप्त कर सके भारतीय समाज में बालिका शिशु की उपेक्षा का एक बड़ा परिणाम उनका अशिक्षित होना है, जो की बाद में महिलाओं की अशिक्षा के रूप में प्रतिफलित होता है। किन्तु बालिका स्त्री शिक्षा के इन तमाम विरोधों के बावजूद लड़कियों को शिक्षा का अधिकार देने और शिक्षित बनाने की दिशा में सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले योजनाओं के तहत बालिकाओं को नई:शुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए कई राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कार्यक्रम चलाये जा रहे है। साहित्य के माध्यम से शिक्षा का महत्व बच्चियों के अधिकार मानवाधिकार का प्राथमिक अधिकार शिक्षा अर्जन करना तथा शिक्षा द्वारा अपने व्यक्तित्व व अस्तित्व की पहचान कराने का सफल प्रयत्न लेखिकाओं ने किया है। लेखिकाओं ने अपने कथाओं के माध्यम से भारतीय समाज में बच्चियों के शिक्षा के प्रति विचारों को स्पष्ट करते हुए अपने प्रगतिशील विचारों से भारतीय बच्चियों की अस्तित्व की स्थापना के लिए रुठियों का विरोध करती, समाज विश्वास, नियम व्यवहार एवं मान्यताएँसमय के साथ साथ बदलती परमप्रिय विचारों को

अपनाती, नैतिक संस्थाओं में समाज तथा मनुष्य दोनों स्थानों पर अभूतपूर्व बदलाव की माँग कराती है। वर्तमान जीवन की जटिलता परिस्थितियों के संवहन में आधुनिकता ज्यों ज्यों उत्तरोत्तर अंतर्मुखी होती गयी त्यों-त्यों आधुनिक हिंदी तथा अंग्रेजी महिला कथा साहित्य में भी बच्चियों के अधिकार तथा मानव परिवार की गरिमा बढ़ने को प्रमुखता मिली है।

वर्तमान जीवन की परिस्थितियों के कारण ज्यों-ज्यों परिवार व समाज में बच्चियों की स्थिति अंतर्मुखी होती जा रही है अतः हिंदी तथा अंग्रेजी महिला कथा साहित्य में परिवार व समाज में लिंगभेद न होते हुए मनुष्य रूप में बच्चियों को स्वीकार करने की माँग करते हुए पात्रों की जद्दोजहद को बखूबी प्रस्तुत किया है। भारतीय बच्चियों की स्वतंत्रता के लिए गुहार लगाती हिंदी तथा अंग्रेजी कथा लेखिकाओं ने भारतीय परिवार तथा समाज के बच्चियों को मानवी के उच्च पथ पर पुनः प्रतिष्ठित करने का यज्ञ प्रारंभ किया है हिंदी तथा अंग्रेजी कथा साहित्य के उभय लेखिकाओं ने समाज तथा परिवार के रुढ़िवादी बंधनों में जकड़ी भारतीय बच्चियों की विवश स्थिति को देखा और अनुभव किया और उनके उद्धार के लिए कृत संकल्प दिखाई देते हैं। जहाँ बच्चियों के सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर अनामिका, कृष्णा सोबती, अरुंधती राँय, जय निम्बकर अनीता नायर बड़े बेबाक बोल्ड शैली में अपने रचनात्मक की अनिवार्य माँग है वही सदियों से बरकरार पितृसत्तात्मक व्यवस्था के दमन चक्र में पिसती लगभग अधि आबादी के विद्रोह की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में ही नहीं विश्व के प्रायः प्रत्येक भाग में लड़कियों के भविष्य तथा उनके मौलिक अधिकार मानवाधिकार को लेकर तथा बच्चियों के स्थिति को उभारने की समस्या सबसे प्रमुख रही है। इसलिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएँ पूर्ण तत्परता से सचेष्ट है। आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार में स्थिति सामाजिक अधिकार, शिक्षा तथा प्रगति अदि ऐसी समस्याएँ है। जिसके लिए स्त्री का संघर्ष जरी है।

शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, आर्थिक अधिकार यह सरे अधिकार मनुष्य परिवार के सदस्य होने के नाते जन्म से इन अधिकारों के हकदार है। किन्तु पितृसत्तात्मक के चलते भारत में परिवार व समाज में बच्चियाँ हमेशा वांछनीय ही है। इस अवस्था से उभरने के लिए साहित्य के माध्यम से बहुत सशक्त प्रयास हुआ है। और हो रहा है।

बाबु गुलाबरॉय कहते हैं – “कवी या लेखक (साहित्यकार) अपने समय का प्रतिनिधि होता है जैसी मानसिक खाद मिलती है वैसी ही उसकी कृति होती है।

जीवन के साथ हुए वैचारिक और संवेदनात्मक सोच और चिंतन के परिवर्तित जीवन के तथ्य को ही बदलकर रख देता है। परिणाम स्वरूप में जीवन के समुदाय को बांधनेवाले दायरे भी बदल जाते हैं। समय समय पर मानव समुदाय स्थान मूल्यों मान्यताओं और व्यवहार में रहे बंधन और चौखटों को अपने अपने हिस्से में गढ़ाने का जो प्रयत्न प्रस्तुत करता है वह केवल जीवन मूल्यों के अयाम का दूसरा नाम है। हिंदी तथा अंग्रेजी महिला कथा साहित्य इसी नैतिकता के चौखटे को समय के साथ परिवर्तित करने के सृजनात्मक और मानवाधिकार को पाने का पर्याय रूप है। अंग्रेजी कथा लेखिकाओं ने अपने कथा साहित्य में भारतीय पृष्ठभूमि भारतीय संस्कृति के परिपेक्ष में ही अपने पात्रों अपने कथाओं के माध्यम से भारतीय बच्चियों की अवहेलना को परिवार व समाज में बच्चियों के यथार्थ स्थिति को खगालकर बड़ा ही जीवंत चित्रण प्रस्तुत

किया है |हिंदी तथा अंग्रेजी महिला कथा साहित्य में भारतीय पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, संविधानिक परिपेक्ष में स्त्री अस्मिता तथा भारतीय बच्चियों के नैसर्गिक अधिकार, मौलिक अधिकार मानवाधिकार को एक दिशा देने में सफल रहा |

उपसंहार :- आज आधुनिक युग में शिक्षा के प्रसार नैतिक मूल्य अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा अपने व्यक्तित्व विकास के प्रति सजगता, भारतीय समाज व परिवार में भारतीय बच्चियों के वास्तविक जीवन के यथार्थ को हिंदी तथा अंग्रेजी कथा साहित्य में लेखिकाओं ने अपने चरित्रों पात्रों के माध्यम ¹ जमीनी सच्चाई को स्पष्ट करते हुए बच्चियों को मानव परिवार में वस्तु न मानकर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है | उभय लेखिकाओं ने तमाम जटिलताओं के बीच भारतीय बच्चियों को एक व्यक्तित्व और गरिमा प्रदान करने का सफल प्रयास भी किया है | भारतीय परिवार व समाज में जटिलताओं के बावजूद भी अपने मौलिक अधिकार मानवाधिकार के प्रति सजगता अपनी जमीन अपना वजूद खुदे तलाशती लड़कियों की व्यंजन करते हुए बच्चियों को व्यक्ति के रूप में चित्रित करने में अत्यधिक स्वतन्त्रता एवं निर्भीकता का भी परिचय दिया है |

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि :-

- 1)मानवाधिकार और भारतीय संविधान संरक्षण एवं विश्लेषण - प्रदीप त्रिपाठी , पृष्ठ सं. 332
- 2)पोजीसन ऑफ वुमेन इन हिन्दू सिविलाजेषण ए. एस. अल्टेकर , पृष्ठ सं. 112
- 3)इक्कीसवी सदी की ओर सुमन कृष्णकांत, पृष्ठ सं. 129

¹ जमीनी सच्चाई को स्पष्ट करते हुए